2/3/2022

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र वादी स्वीकार किया गया। प्रकरण में अस्थायी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:33:44 IST
Reason: SelfAttested

निरीक्षणा मौके व ~~रिकॉर्ड~~ रिकार्ड की ~~[illegible]~~ तामीलनामा पुष्ट की। विस्तृत निर्णय लिखकर संलग्न पत्रावली किया गया। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं पत्रावली [illegible] वाद के साथ संलग्न रहे

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:33:44 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 299 / 1997

तारीख दायरा 30.11.1990

उनवान

1. मृतक मथुरालाल पुत्र स्व. माधोलाल जाति धाकड जरिये कायम मुकामान –

1/1 मृतक बाबूलाल पुत्र स्व. मथुरालाल जरिये कायम मुकामान –

1/1/1 दिनेश कुमार पुत्र स्व. बाबूलाल जाति धाकड।

1/1/2 अयोध्याबाई पत्नि स्व. बाबूलाल जाति धाकड।

1/1/3 सीमाबाई पुत्री स्व. बाबूलाल जाति धाकड निवासीगण जालीहेडा।

1/1/4 कैलाशबाई पुत्री स्व. बाबूलाल पत्नि रामेश्वर जाति धाकड निवासी डोबडा तहसील खानपुर।

1/1/5 भगवतीबाई पुत्री स्व. बाबूलाल पत्नि सूरजमल जाति धाकड निवासी भैरूपुरा तहसील खानपुर जिला झालावाड।

1/2 चन्द्रप्रकाश पुत्र मथुरालाल जाति धाकड।

1/3 मोहनलाल पुत्र मथुरालाल जाति धाकड।

1/4 गुड्डीबाई पुत्री मथुरालाल जाति धाकड।

1/5 बद्रीबाई पुत्री मथुरालाल जाति धाकड निवासीगण जालीहेडा तहसील सांगोद।

2. मृतक हीरालाल पुत्र माधोलाल जाति धाकड जरिये कायम मुकामान –

2/1. रामगोपाल पुत्र हीरालाल जाति धाकड मृतक जरिये कायम मुकामानः–

2/1/1. योगेन्द्र कुमार पुत्र स्व0रामगोपाल जाति धाकड

2/1/2. महावीर पुत्र स्व0 रामगोपाल जाति धाकड

2/1/3. गायत्रीबाई पत्नी स्व0 रामगोपाल जाति धाकड

2/2 मदनलाल पुत्र हीरालाल जाति धाकड।

2/3 सत्यनारायण पुत्र हीरालाल जाति धाकड निवासीगण जालीहेडा तहसील सांगोद।

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

3. मृतक मांगीलाल पुत्र माधोलाल जाति धाकड जरिये कायम मुकामान 7

3/1 चौथमल पुत्र मांगीलाल जाति धाकड

3/2 रूकमणी बाई बेवा मांगीलाल जाति धाकड निवासीगण जालीहेडा तहसील सांगोद।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. मृतक रामगोपाल पुत्र मोतीलाल जाति धाकड जर्ये कायम मुकामान :–

1/1. नन्दकिशोर पुत्र रामगोपाल जाति धाकड

1/2. प्रभूलाल पुत्र रामगोपाल जाति धाकड

1/3. दौलतराम पुत्र रामगोपाल जाति धाकड

1/4. सूरजमल पुत्र रामगोपाल जाति धाकड

1/5. देवकिशन पुत्र रामगोपाल जाति धाकड मृतक जर्ये कायम मुकामानः–

1/5/1. पवन पुत्र देवकिशन जाति धाकड निवासी जालीहेडा तह0सांगोद

1/5/2. ममता पुत्री देवकिशन पत्नी मुकुटबिहारी जाति धाकड निवासीग्राम माथना तहसील बारां जिला बारां।

1/5/3. छीताबाई पत्नी स्व0 देवकिशन जाति धाकड निवासी जालीहेडा

1/6. राधाकिशन पुत्र रामगोपाल जाति धाकड

1/7. जानकीलाल पुत्र रामगोपाल जाति धाकड निवासीगण जालीहेडा

1/8. उर्मिलाबाई पुत्री रामगोपाल पत्नी किशनचन्द जाति धाकड निवासी ग्राम कंवरपुरा मण्डवाल तहसील खानपुर

2. देवीलाल पुत्र स्व0 जगन्नाथ जाति धाकड

3. चतुर्भुज पुत्र स्व0 जगन्नाथ जाति धाकड

4. मृतक धूलीबाई बेवा जगन्नाथ जाति धाकड जर्ये कायम मु[illegible] :–

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

4/1. राधाबाई पुत्री जगन्नाथ पत्नी नन्दकुमार जाति धाकडनिवासी मकडावद तहसील सांगोद जिला कोटा

4/2. श्रीमती बतूलबाई पुत्री जगन्नाथ पत्नी परसराम जाति धाकड निवासीग्राम डूंगरपुर तहसील सांगोद जिला कोटा

5. मांगीलाल पुत्र भैरूलाल जाति धाकड

6. नाथूलाल पुत्र भैरूलाल जाति धाकड

7. रामभरोस पुत्र भैरूलाल जाति धाकड निवासीगण जालीहेडा तह0सांगोद

8. मृतक नटीबाई बेवा भैरूलाल जाति धाकड जर्ये कायम मुकामः–

8/1. मोहनीबाई पुत्री भैरूलाल पत्नी गोविन्दप्रसाद जाति धाकड निवासी ग्राम डाबिया तहसील खानपुर जिला झालावाड।

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद। –अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :–

श्री अशोक कुमार जैन (वकील प्रार्थीगण) दिनांक :– 02.03.2022

श्री रामप्रसाद नागर (वकील अप्रार्थीगण)

–निर्णय–

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि तहसील सांगोद में ग्राम धीराहेडी स्व. ठाकुर पृथ्वी सिंह पुत्र रामसिंह एवं शंकरदान पूत्र नाथूसिंह की जागीर का गांव था और ग्राम धीराहेडी में वर्तमान खसरा नं0 4 रकबा 24 बीघा 4 बिस्वा किस्म बारानी एवं लगानी 28.75 रूपये भूमि जिसका सेटलमेन्ट के पूर्व का पुराना खसरा नं0 1 था तथा उक्त भूमि पृथ्वी सिंह एवं शंकरदान की जागीर में चली आ रही थी।

खसरा नं0 4 की कुल वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण के स्व0 पिता की माधो पुत्र नारायण का जागीर रिजम्पशन के पूर्व से ही और राज0 लैण्ड रिफोर्म्स एण्ड रिजम्पशन ऑफ जागीर एक्ट 1952 लागू होने की तिथि को एवं जागीर रिजम्पशन की दिनांक 23.08.54 को तथा राज0 काश्तकारी अधिनियम लागू होने की दिनांक को वास्तविक (फिजीकल) कब्जा काश्त मौके पर बहैसियत उपकृषक लगान अदायगी की हैसियत से उक्त कुल वादग्रस्त भूमि पर निरन्तर अबाध रूप से चला आ रहा था और माधो ही प्रतिवर्ष वादग्रस्त भूमि में फसल बोकर निरन्तर भूमि का उपयोग–उपभोग करता हुआ लगान अदा करता आ रहा था इसलिए स्व0 माधो बाई आपरेशन ऑफ लॉ कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत स्वतः ही कुल वादग्रस्त भूमि का कानूनन खातेदार हो गया था और स्व0 माधो की मृत्यु के उपरान्त प्रार्थीगण भी निरन्तर आज तक बहैसियत उपकृषक कुल वादग्रस्त आराजी पर वास्तविक रूप से मौके पर निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे हैं और प्रार्थीगण ही कुल वादग्रस्त भूमि में प्रतिवर्ष फसल बोकर कुल भूमि का निरन्तर उपयोग–उपभोग आज तक करते हुए लगान अदा करते आ रहे हैं इस प्रकार स्व0 माधो और उसकी मृत्यु के पश्चात प्रार्थीगण का [illegible] 44 वर्षो से कुल वादग्रस्त भूमि पर निरन्तर आज तक वास्तविक कब्जा काश्त [illegible] पर चला आ रहा है और प्रार्थीगण का स्टेटस कानूनन वादग्रस्त भूमि के संबंध में खातेदार का है और

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

प्रार्थीगण इस माननीय न्यायालय की सहायता से अपने आपको कुल वादग्रस्त भूमि के बाबत् खातेद्रार कृषक घोषित करवाने के कानूनी अधिकारी है।

पूर्व में भी अप्रार्थी कम 1 तथा अप्रार्थी नं0 1 के भ्रातागण स्व0 जगन्नाथ एवं भैरूलाल पुत्रान मोतीलाल द्वारा एक दावा बाबत घोषणा खातेदारी एवं बेदखली का उनवान मुकदमा जगन्नाथ, भैंरूलाल, रामगोपाल बनाम माधो पुत्र नारायण धाकड व अन्य के विरूद्ध इसी माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगजमण्डी में इस वादग्रस्त भूमि के बाबत दिनांक 30.07.1959 को इस कथन के साथ प्रस्तुत किया था कि अप्रार्थी नं0 1 और उसके भ्रातागण द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि को जर्ये पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 07.07.56 को जागीरदार पृथ्वी सिंह, शंकरदान सिंह से कय कर लिया है और वादग्रस्त भूमि के खातेदार है किन्तु अप्रार्थी नं0 1 और उसके भ्रातागण का यह दावा सम्मानीय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपील कमांक 1203/86 बाउनवान मथुरालाल, मांगीलाल वगैरह बनाम जगन्नाथ, रामगोपाल वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 30.07.68 और माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भी निर्णय दिनांक 02.12.70 में इस फाईन्डिड के साथ खारिज कर दिया है कि जागीदारान पृथ्वी सिंह, शंकरदान सिंह कानूनन वादग्रस्त भूमि के खातेदार नहीं थे और उन्हें अवैध, अनाधिकृत प्रभाव शून्य इन्द्राज के आधार पर वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी नं0 1 व उसके भ्रातागण को विकय करने के वैध अधिकार नहीं होने से अप्रार्थी कम 1 तथा उसके भ्रातागण के पक्ष का बेचान नल एण्ड वोयड है और अप्रार्थी नं0 1 तथा जगन्नाथ, भैंरूलाल को कोई खातेदारी अधिकारी वादग्रस्त भूमि बाबत प्राप्त नहीं होते है एवं [illegible] स्टेटस वादग्रस्त भूमि पर वर्षो से बहैसियत कानूनन उपकृषक का [illegible] वादग्रस्त भूमि का कानूनन खातेदार हो गया है और घोषणा तथा बेदखली का [illegible] था प्रार्थीगण के पिता श्री माधो के विरूद्ध चलने योग्य नहीं होने से निरस्तनीय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:33:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

वादग्रस्त भूमि के संबंध में स्व0 माधो एवं उसकी मृत्यु के पश्चात प्रार्थीगण का स्टेटस कानूनन खातेदार कृषक का निरन्तर चला आ रहा है और न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय और माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के निर्णय से भी प्रार्थीगण का स्टेटस वादग्रस्त भूमि के बाबत कानूनन खातेदार कृषक का है और प्रार्थीगण स्वयं को वादग्रस्त भूमि के संबंध में इस माननीय न्यायालय की सहायता से खातेदार कृषक घोषित करवाने के वैध अधिकारी है।

वादग्रस्त भूमि के बाबत प्रार्थीगण का स्टेटस वैध रूपेण खातेदार कृषक का होने पर भी और प्रार्थीगण ही गत करीब 44 वर्षो से कुल वादग्रस्त भूमि पर आज तक निरन्तर काबिज काश्त होने पर भी तथा राजस्व अभिलेख से एवं दिनांक 11.01.1989 एवं दिनांक 18.03.1990 की मौका रिपोर्ट पटवारी से भी यह तथ्य साबित होने पर भी तथा वादग्रस्त भूमि का लगान भी निरन्तर प्रार्थीगण द्वारा ही आज तक अदा करते आ रहे होने के उपरान्त भी अप्रार्थीगण द्वारा बीच की कुछ अवधि में राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत करके स्वयं के पक्ष में अवैध अनाधिकृत तरीके से करवाये गये रेवेन्यू रिकार्ड में प्रभाव शून्य इन्द्राजात की आड में अब अप्रार्थीगण 1 लगायत 8 गैर कानूनी तरीके से वादग्रस्त भूमि से संबंधित प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों को व वर्षो पुराने वैध कब्जे काश्त को चुनौती देने लग गये हैं और प्रार्थीगण के विरूद्ध एक गिरोह बनाकर मारपीट की धमकियां देते हुए कानून को हाथ में लेकर प्रार्थीगण को अवैध तरीके से वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने के गैरकानूनी प्रयास करने लग गये है इसलिए अब अप्रार्थीगण के लिए इस माननीय न्यायालय की सहायता लेना आवश्यक हो गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:33:44 IST
Reason: SelfAttested

प्रत्येक वर्षो की भांति इस वर्ष भी प्रार्थीगण ने ही वादग्रस्त भूमि में खरीफ की फसल में 7 बीघा सोयाबीन, एक बीघा की मिर्ची, 2 बीघा मक्का, 1 बीघा मूंगफली,

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

बीघा उडद, 1 बीघा सनबीजा व करीब 4 बीघा तिल्ली बोई है और प्रार्थीगण ने ही फसल को काटा है, और अभी उजाड नदी के पानी से सिंचाई करके प्रार्थीगण ने वादग्रस्त भूमि में 5 बीघा की सरसो, 1 बीघा मटर, 10 बीघा में गेंहू व शेष में धनिया की फसल बोई है, जो अभी वादग्रस्त भूमि पर मौके पर स्थित है। किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा अभी दिनांक 15.11.1990 को गैरकानूनी व नाजायज प्रयास करते हुए प्रार्थीगण की बोई हुई फसल को उलटने का अवैध असफल प्रयास किया तो कुछ लोगों की सहायता से प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को समझाकर वापस किया।

वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का गत 44 वर्षो से लगातार कब्जा चला आ रहा है और बाई आपरेशन ऑफ लॉ प्रार्थीगण को खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो चुके हैं, प्रार्थीगण ही लगान राज अदा करते है, तथा वर्तमान में प्रार्थीगण बोई हुई फसल सरसों, मटर, गेहूं व धनिये की खडी है अप्रार्थीगण अवैध, अनाधिकृत रूप से कानून को हाथ में लेकर उक्त फसल को नष्ट करने व अप्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है, यदि अप्रार्थीगण अपने अवैध कृत्य में सफल हो गये तो इससे प्रार्थीगण को अपार क्षति होगी– प्रार्थीगण के रोजगार का साधन समाप्त होगा– कई विवादों में फंसना पडेगा प्रार्थीगण अपनी आराजी से स्थाई रूप से वंचित हो जावेंगे–और माननीय न्यायालय की शरण लेना निरर्थक हो जावेगा। प्रार्थीगण का केस प्राइमा फैसाई, तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में हैं।

अतः प्रार्थना है कि ताफैसला वाद प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि [illegible] प्रार्थीगण के वर्षों से निरन्तर चले आ रहे शान्ति पूर्वक कब्जे [illegible] नं0 4 की 24 बीघा 4 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम लगानी 23.75 रूपये [illegible] के ग्राम धीराहेडी तह0 सांगोद में किसी प्रकार की मजामहत व मदाखतल न तो स्वयं पैदा करें तथा वादग्रस्त

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

भूमि को खुर्दबुर्द भी नहीं करें और न ही ऐसा अवैध कार्य अपने किसी व्यक्ति या प्रतिनिधियों से करावें।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। समस्त अप्रार्थीगण की तलबी हो चुकी है। अप्रार्थीगण 1 ता 3, 5, 6 की ओर से वकील श्री रामप्रसाद नागर द्वारा वकालतनामा पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 16.11.2002 को प्रस्तुत किया गया एवं पुनः दिनांक 21.2.2022 को एडिशनल जवाब प्रार्थना पत्र एवं कुछ दस्तावेज फर्द के साथ प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य निम्न प्रकार है – वाद पत्र की मद सं. 1 स्वीकार है। वाद पत्र की मद सं. 2 जिस तरह लिखी गई है, स्वीकार नहीं है। वादग्रस्त भूमि की प्रतिवादी सं. 1 रामगोपाल तथा स्व0 भैरूलाल एवं स्व0 जगन्नाथ तीनों भाईयों द्वारा वादग्रस्त भूमि के खातेदार पृथ्वीसिंह एवं शंकरदान ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 7.7.1956 पांच सौ रूपये में खरीदकर दिनांक 27.2.1958 को अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटा के आदेश से उक्त क्रेतागण के खाते दर्ज करवाया है तब से ही उक्त क्रेतागण वादग्रस्त भूमि को निरन्तर काश्त करते चले आ रहे हैं लेकिन उक्त संबंध में विभिन्न राजस्व न्यायालयों से राजस्व मण्डल तक मुकदमें बाजी चलते रहने से वादग्रस्त भूमि पर कब्जे के बाबत निरन्तर विवादास्पद स्थिति चली आ रही है। उक्त विवाद के जारी रहते हुए स्व0 वादी नं. 2 हीरालाल तथा स्व0 वादी नं. 3 मांगीलाल के वारिसान रामगोपाल, मदनलाल, सत्यनारायण तथा उसकी बेवा रूकमणी बाई उर्फ राम कल्याणी बाई तथा मांगीलाल की बेवा रूकमणीबाई ने राजीनामा करके दिनांक 16.5.1994 को उक्त कुल वादग्रस्त भूमि का शांतिपूर्वक कब्जा प्रतिवादी सं.6 नाथूलाल के नेतृत्व में [illegible] को संभला देना स्वीकार कर लिया है और उक्त संबंध में [illegible] पक्षकारान द्वारा बीस–बीस रूपये के स्टाम्प पर दो पृथक–पृथक राजीनामा लिख[illegible]ये हैं जिससे अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:33:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

वादग्रस्त भूमि को दिनांक 16.5.1994 से प्रतिवादी सं. 6 शांतिपूर्वक काश्त करता आ रहा है।

वाद पत्र की मद सं. 3 में अंकित विवरण मुताबिक वादग्रस्त भूमि के बाबत विभिन्न राजस्व न्यायालयों से उक्त निर्णय पारित होकर दिनांक 2.12.70 को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से अंतिम निर्णय पारित होना स्वीकार है, किन्तु उक्त निर्णय के बाद भी वादग्रस्त भूमि के खातेदार जगन्नाथ, भैरूलाल व रामगोपाल पिसरान मोतीलाल तथा उनमें से जगन्नाथ व भैरूलाल की मृत्यु के बाद हम प्रतिवादीगण का नाम बदस्तूर खाते में दर्ज चला आने से हम प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि को बहैसियत खातेदार काश्त करते चले आ रहे हैं और इसी आधार पर स्व0 हीरालाल व स्व0 मांगीलाल के वारिसान ने वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण के प्रतिनिधि प्रतिवादी सं. 7 को कब्जा संभलाना भी स्वीकार करते हुए दिनांक 16.5.1994 को राजीनामा लिखकर उक्त प्रकरण समाप्त करने को इकरार किया गया है किन्तु उक्त राजीनामा से वादी नं. 1 मथुरालाल बदनीयती पूर्वक ही कुल भूमि पर स्वयं कब्जा पाने की लालसा में उक्त वाद पेश कर रहा है।

वाद पत्र की मद सं. 4 में अंकित तथ्यों के मुताबिक स्व0 माधोलाल की मृत्यु होने के बाद उसके स्थान पर वादीगण मथुरालाल, हीरालाल व मांगीलाल तीन कायम मुकामान दर्ज हुए हैं जिनमें से स्व0 मांगीलाल व हीरालाल के वारिसान द्वारा प्रतिवादीगण के प्रतिनिधि प्रतिवादी सं. 6 नाथूलाल से राजीनामा कर उसे कुल वादग्रस्त भूमि पर शांतिपूर्वक कब्जा संभला देना स्वीकार कर लिया है, ऐसी सूरत में अब अकेले वादी नं. 1 की कुल वादग्रस्त भूमि का खातेदार घोषित किया जाना कानूनन संभव नहीं है।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

वाद पत्र की मद सं. 5 पूर्णतः मिथ्या एवं बनावटी होने से अस्वीकार है। वादग्रस्त भूमि पर राजस्व मण्डल से 2.12.1970 को अंतिम निर्णय होने के 20 वर्ष बाद उक्त वाद दायर किया गया है। जबकि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण निरन्तर खातेदार कृषक दर्ज चले आ रहे हैं जिसके संबंध में सन 1970 के बाद 12 वर्ष की अवधि में भी वादीगण द्वारा हम प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है ऐसी सूरत में यदि वादग्रस्त भूमि पर हम प्रतिवादीगण का सन 1970 के बाद से भी एडवर्स पजेशन भी माना जावे तो भी हम प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि पर कानूनन खातेदारी प्राप्त हो चुकी है एवं इसी तथ्य को ध्यान में रखकर स्व0 वादी सं. 2 व वादी सं. 3 द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में राजीनामा करके प्रतिवादी सं. 6 नाथूलाल को शांतिपूर्वक कब्जा संभला दिया गया है।

वाद पत्र की मद सं. 6 अस्वीकार है। वादग्रस्त भूमि पर वादी नं. 1 का किसी प्रकार का कब्जा नहीं है। उजाड नदी में सिंचाई योग्य पानी नहीं होने से उक्त भूमि मौके पर असिंचित रहने से पडत पडी हुई है तथा प्रतिवादी सं. 6 नाथूलाल के कब्जे काश्त में हैं।

वाद पत्र की मद सं. 7 अस्वीकार है। राज्य सरकार के विरूद्ध नियमानुसार दो माह की अवधि का धारा 80 जा.दी. का नोटिस दिये बिना उक्त वाद मैन्टेनेबल नहीं है।

वाद पत्र की मद सं. 8, 9, 10 अस्वीकार है। दावा वादीगण मियाद बेरून पेश किया गया है तथा सन 1970 में राजस्व मण्डल से निर्णय के 20 वर्ष बाद प्रस्तुत होने से पूर्णतया अवधि बाधित है। अतः प्रार्थना पत्र वादी पूर्णतः अस्वीकार है।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

-- विशेष आपत्तियां --

वादग्रस्त भूमि के हम प्रतिवादीगण में से प्रतिवादी सं.1 तथा स्व0 जगन्नाथ एवं भैरूलाल दिनांक 7.7.1956 के कय के बाद से ही अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटा के ओदश दिनांक 27.2.1958 से ही खातेदार कृषक दर्ज चले आ रहे हैं जिसके संबंध में वादीगण की ओर से सन 1970 में राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित अंतिम निर्णय के बाद भी निर्धारित अवधि में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उक्त आधार पर वादग्रस्त भूमि पर हम प्रतिवादीगण के खातेदारी हक एडवर्स पजेशन के आधार पर भी पुष्ट हो चुके हैं तथा वादीगण के नाम से केवल वादी नं.1 को उक्त संबंध में आपत्ति उठाने का कोई हक प्राप्त नहीं है। वादी नं.1 को 20 वर्ष बाद दायर वाद में दावा वादी मियाद बेरून हो जाने से कोई राहत देना संभव नहीं है।

यह कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादी सं. 2 स्व0 हीरालाल एवं स्व0 मांगीलाल के वारिसान ने दिनांक 16.5.1994 को प्रतिवादीगण की सहमति से प्रतिवादीगण के प्रतिनिधि प्रतिवादी नं. 6 नाथूलाल से स्वेच्छा पूर्वक राजीनामा कर कुल वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी सं. 7 को शांतिपूर्वक कब्जा संभलाना स्वीकार कर लिया है जिसके मुताबिक वादी सं.1 मथुरालाल को वादी सं. 2 व वादी सं. 3 के हिस्से के मुताबिक तो किसी भी प्रकार की आपत्ति उठाने का हक प्राप्त नहीं है तथा माननीय न्यायालय द्वारा उक्त राजीनामा के बाबत शहादत रिकार्ड कर मुताबिक राजीनामा उक्त वाद निर्णित किया जाना न्याय संगत है। वादी सं. 1 दिनांक [illegible]94 को वादी सं. 2 व 3 के वारिसान द्वारा किए गए राजीनामे को अमान्यता दे तो [illegible] वादग्रस्त भूमि में से अधिक से अधिक 1/3 हिस्से की भूमि तक ही अपना हि[illegible] क्लेम करने का हक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:33:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

प्राप्त है जिसके बाबत यदि वादी सं. 1 विभाजन आराजी हेतु पृथक से वाद प्रस्तुत करने को स्वतंत्र है।

वादग्रस्त भूमि के प्रतिवादीगण के खातेदार कृषक होने से वादीगण को वाद दायरी दावा भी केवल वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति कायम रखे जाने के आशय का स्थगन आदेश प्रार्थना पत्र 212 आर. टी. एक्ट पर दिनांक 30.11.1990 पर पारित किया गया है। ऐसी सूरत में उक्त आदेश मुताबिक भी वादग्रस्त भूमि पर बहैसियत खातेदार हम प्रतिवादीगण का निरन्तर कब्जा काश्त कायम रहते हुए व इसके बाद दिनांक 16.5.1994 को वादी सं. 2 व 3 के वारिसान द्वारा राजीनामा करके प्रतिवादी सं. 6 को शांतिपूर्वक कब्जा संभलाया होना स्वीकार कर लेने के बाद केवल मात्र वादी सं. 1 द्वारा कुल भूमि के बाबत आपत्ति उठाया जाना निरर्थक है व उक्त वाद काबिल खारिज है। वादीगण सं. 2 व 3 की मृत्यु के बाद उनके वारिसान को रिकार्ड पर लेते हुए संशोधित वादपत्र भी प्रस्तुत नहीं हुआ है इससे स्पष्ट जाहिर है कि उक्त वारिसान को राजीनामा करने के बाद उक्त संशोधित वाद पेश करने में भी कोई रूचि नहीं है तथा वादी सं. 1 ही उनकी तरफ से फर्जी हस्ताक्षर करके कुल भूमि हडपने हेतु उक्त कार्यवाही कर रहा है। उक्त आधार पर भी वादीगण नं. 2 व 3 के वारिसान की ओर से वाद काबिल खारिज है।

वादग्रस्त भूमि के वर्तमान खातेदारान देवीलाल, चतुर्भुज पिसरान जगन्नाथ, धूली बेवा जगन्नाथ हिस्सा 1/3, मांगीलाल, नाथूलाल, रामगोपाल पिसरान भैरूलाल व नटी बाई बेवा भैरूलाल हिस्सा 1/3 तथा रामगोपाल पुत्र मोतीलाल जाति धाकड हिस्सा 1/3 सहभागी खातेदारान है जिनमें से धूली बाई एव नटी [illegible] देहावसान हो चुका है तथा उक्त समस्त खातेदारान की ओर [illegible] उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। वादीगण की ओर से एकमात्र वादी सं.1 मथु[illegible]ल ने ही कपट पूर्वक

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
दीगोद (कोटा)

अन्य वादीगण की ओर से भी उक्त वाद प्रस्तुत कर रखा है जबकि स्व0 वादी सं. 2 व 3 के वारिसान प्रतिवादीगण के खिलाफ वादग्रस्त भूमि के बाबत कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। उक्त आधार पर भी उक्त वाद बिना संशोधन वादी सं.1 की ओर से मैन्टेनेबल नहीं है।

प्रकरण में एकपक्षीय रूप से दिनांक 30.11.1990 से जारी विवादित आराजी की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश राजस्व मण्डल द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार तीन माह में प्रार्थना पत्र निर्णित नहीं होने के कारण महत्वहीन हो चुका है। ऐसी सूरत में उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में वादग्रस्त भूमि के रेकार्डेड खातेदार एवं काबिज काश्त कृषक अप्रार्थीगण होने व वर्तमान में भी उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण की बोई हुई फसल सरसों खडी होने से उक्त संबंध में अप्रार्थीगण इस प्रार्थना पत्र के साथ ही महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके साथ ही पृथक से दिनांक 18.2.2022 को अप्रार्थी नाथूलाल द्वारा जिला कलक्टर कोटा तथा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जिला कोटा को प्रस्तुत ज्ञापन की प्रतिलिपि भी आवश्यक कार्यवाही हेतु उपखण्ड अधिकारी सांगोद को दी जा रही है, जिसके अनुसार ही प्रार्थना पत्र 212 रा. का. अधि. पर न्यायोचित निर्णय अप्रार्थीगण के पक्ष में पारित किया जावें। आज वकील प्रतिवादी के परिवार में शोकग्रस्त स्थिति हो जाने से कानूनी बहस करने में असमर्थता होने से यह जवाब मय दस्तावेज प्रस्तुत है। अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादीगण सव्यय निरस्त फरमाया जावें। इसके पश्चात अधिवक्ता प्रतिवादी को बहस करने के लिए पत्रावली दिनांक 22.02.2022, 23.02.2022, 24.02.2022, 25.02.2022 एवं 28.02.2022 में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी द्वारा [illegible] बहस की गई एवं अपनी बहस में वाद में किए गए कथनों को दोहराते हुए [illegible] गया कि प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए अप्रार्थी कम 1, 2, 3, 5, 6 ने कथन किया कि उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है, उक्त वाद अवधि बाधित है, उक्त भूमि मौके पर सिंचाई का साधन नहीं होने से पडत पडी हुई है, जहां तक उक्त भूमि के सम्बन्ध में वादीगण न0 2 व 3 के वारिसान ने स्वेच्छा पूर्वक दिनांक 16.5.94 को राजीनामा प्रस्तुत कर अप्रार्थी न0 6 नाथूलाल को शांति पूर्वक कब्जा संभला रखा है तथा अन्य वारिसान उक्त वाद को कन्टेस्ट नहीं कर रहे हैं तथा वादी न0 1 को अन्य वादीगण की तरफ से कार्यवाही करने का हक प्राप्त नहीं है यह कथन भ्रामक व मिथ्या हैं। इस क्रम में निवेदन है कि अप्रार्थी कम 7 ने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए इकबाली जवाब प्रस्तुत किया है, प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में लगान की रसीदें, कब्जे के बाबत हलका पटवारी की मौके की रिर्पोट, खसरा गिरदावरी, सेटलमैन्ट से पूर्व की व पश्चात की जमाबन्दियों की नकलें, राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 2.12.1970, उक्त वादग्रस्त भूमि के चारों तरफ स्थित काश्तकारान के शपथ पत्र, इन्तकाल न0 23 दिनांक 17.11.56 की फोटो प्रति आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं, इसी प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा भी दस्तावेज पेश किये हैं, उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय को अस्थाई व्यादेश प्रार्थीगण के पक्ष में देने से पूर्व यह देखना है कि क्या प्रार्थीगण का मामला प्रथम दृष्टया सही है ,क्या प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होने की संभावना है, जिसे रोकना न्यायालय का कर्तव्य है और क्या सुविधा का सन्तुलन वादी के पक्ष में है।

प्रथम दृष्टया केस

यह है कि उक्त सन्दर्भ में प्रार्थीगण की ओर से कथन है कि उक्त वादग्रस्त भूमि के बाबत अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 30.7.59 को प्रकरण जगन्नाथ, भैरूलाल वगैराह

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

बनाम माधो पुत्र नारायण उपखण्ड अधिकारी रामगंजमंडी में प्रस्तुत किया था, जो कि खातेदारी घोषणा व बेदखली का था, जिसे माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 2.12.70 को निर्णय पारित करते हुए खारिज किया जा चुका है, तथा माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय में यह माना है कि तत्कालीन खातेदार जागीरदार पृथ्वीसिंह, शंकरदान सिंह वादग्रस्त भूमि के वैध खातेदार नहीं थे और उन्हें अवैध, अनाधिकृत प्रभावशून्य इन्द्राज के आधार पर वादग्रस्त भूमि को अप्रार्थी कम 1 व उसके भ्रातागण को विकय करने का वैध अधिकार नहीं था, और इस प्रकार अप्रार्थी कम 1 तथा उसके भ्रातागण के पक्ष का बेचान नल एण्ड वोइड है, अपने उक्त निर्णय में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा यह माना कि जागीरदार अन्तरिति को जैली के विरूद्व वादग्रस्त भूमि से निष्कासन का वाद लाने का अधिकार नहीं है। अपने उक्त निर्णय में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रार्थीगण के पिता श्री माधो को विवादित भूमि में अतिकमी नहीं माना है क्योंकि उनका नाम राजस्व रेकार्ड में जैली के रूप में दर्ज है तथा लगान अदा कर रहे हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रकरण में प्रस्तुत लगान की रसीदें, खसरा गिरदावरी, हलका पटवारी रिपोर्ट, उक्त वादग्रस्त भूमि के चारों तरफ स्थित खातेदारों की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र से भी यह साबित होता है कि उक्त भूमि निरन्तर रूप से प्रार्थीगण के मौके पर भौतिक रूप से कब्जे काश्त में चली आ रही है। अप्रार्थीगण कम 7 ने भी प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को इकबाली जवाब प्रस्तुत कर स्वीकार किया है, जिससे भी प्रार्थीगण द्वारा किये गये कथन की पुष्टि होती है, इसके विपरीत अप्रार्थी कम 1, 2, 3, 5, 6 ने जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया है, उन्होंने प्रार्थीग[illegible]त्र क्यों खारिज किया जाये, इसका स्पेसिफिक डिनायल नहीं किया है, केवल [illegible] कहा है, कि दिनांक 16.5.94 को अप्रार्थी कम 2 व 3 के वारिसान ने राजी[illegible]मा प्रस्तुत कर अप्रार्थी कम 6

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

नाथूलाल को कब्जा संभला दिया है, जबकि दिनांक 16.5.94 का ऐसा कोई राजीनामा पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, अप्रार्थीगण ने स्पेसिफिक रूप से यह कहीं पर भी मना नहीं किया है कि उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के कब्जे में ना हो, उन्होंने अपने जवाब के समर्थन में जो दस्तावेज माननीय न्यायालय की पत्रावली पर पेश किये हैं, उनसे भी यह साबित नहीं होता है कि उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा हो, ऐसी स्थिति में उक्त वादग्रस्त भूमि में सेटलमैन्ट से पूर्व तथा पश्चात भी वर्तमान स्थिति तक प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा होना जाहिर होता है। यदि उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा होता तो उनके द्वारा प्रस्तुत किसी ना किसी दस्तावेज में उसका उल्लेख अवश्य होता। लेकिन ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली में नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के पिता के विरूद्व बेदखली के वाद से भी यह जाहिर होता है कि उक्त भूमि अप्रार्थीगण के कब्जे में नहीं रही है तथा उक्त भूमि के चारों तरफ स्थित काश्तकारों द्वारा प्रस्तुत शपथपत्रों से भी यह जाहिर होता है कि वर्तमान में भी कब्जा प्रार्थीगण का ही चला आ रहा है। जहां तक राजस्व रेकार्ड में अप्रार्थीगण के नाम के इन्द्राज का प्रश्न है तो उसके सन्दर्भ में प्रार्थीगण का निवेदन है कि उक्त इन्द्राज को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 2.12.70 के द्वारा अवैध व शून्य ठहराया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त अवैध इन्द्राज का अप्रार्थीगण कोई लाभ लेने की स्थिति में नहीं है, उपरोक्त परिस्थितियों में प्रार्थीगण ने अपने केस को प्रथम दृष्टया साबित किया है, जिसके आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

सुविधा का सन्तुलन व अपरि[illegible]

उक्त बिन्दुओं के समर्थन में प्रार्थीगण [illegible] कि उन्होंने पत्रावली में प्रस्तुत विभिन्न दस्तावेजों न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 2.12.70 के द्वारा विवादित भूमि पर अपने कब्जे को भली–भांति साबित किया है। प्रार्थीगण ने यह भी

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

साबित किया है कि अप्रार्थीगण के नाम का जो इन्द्राज राजस्व रेकार्ड में हो रहा है, वह अवैध होकर शून्य है तथा ऐसे इन्द्राज के आधार पर अप्रार्थीगण को कोई मदद मिलने की संभावना नहीं है, अपितु अप्रार्थीगण उक्त अवैध इन्द्राज के आधार पर उक्त विवादग्रस्त भूमि को खुर्द–बुर्द करने का प्रयास कर सकते हैं। यदि अप्रार्थीगण इस प्रकार के कृत्य में सफल हो गये तो उक्त प्रकरण में वादकारिता बढने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है तथा शांति भंग होने की भी पूर्ण संभावना रहेगी जिसकी वजह से प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति हो सकती है। सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। उपरोक्त परिस्थितियों में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है जिसे स्वीकार किया जावे तथा अप्रार्थीगण को आदेशित किया जावे कि वे ताफैसला वाद वादग्रस्त भूमि खसरा न0 4 की 24 बीघा 4 बिस्वा स्थित ग्राम धीराहेडी, जिसके वर्तमान खसरा न0 11 रकबा 3.91 है. को राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज होने के आधार पर किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण, खुर्द–बुर्द आदि करने का प्रयास नहीं करें और न ही प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से मदाखलत मजामहत करने का प्रयास करें।

अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा दिनांक 28.2.2022 को बहस की गई एवं जवाब में लिखे गये तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल का दिनांक 03.12.1970 का जो फैसला संलग्न है वह प्रमाणित प्रति नहीं है जबकि फोटोप्रति मात्र है। वैसे भी यह फैसला 50 साल पुराना हो गया है इसलिए इस फैसले को पढा जाना एवं इसमें माननीय राजस्व मण्डल द्वारा व्यक्त किए गए अभिमत कि वादग्रस्त आराजी जगीरदारों द्वारा जागीर रिजम्पशन के बाद बे[illegible] प्रतिवादीगण के पक्ष में किया गया बेचान प्रारम्भतः शून्य है, 5[illegible] साल पुरानी हो [illegible] नहीं जानी चाहिए और यदि पढी भी जाती है तो प्रतिवादीगण के पक्ष [illegible] किए गए बेचान के शून्य

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
साँगोद (कोटा)

होने की स्थिति में आराजी को सिवायचक दर्ज किया जाना चाहिए एवं सिवायचक दर्ज किया जाकर पुनः कब्जे के आधार पर आवंटित की जानी चाहिए एवं कब्जा प्रतिवादीगण का होने के कारण आराजी प्रतिवादीगण को आवंटित होनी चाहिए। प्रकरण में तहसीलदार सांगोद ने माननीय राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 02.07.1970 के पश्चात दिनांक 26.03.1989 को विवादित आराजी सिवायचक दर्ज कर दी थी। इस नामान्तरण की अपील में दिनांक 28.12.1989 को तत्कालीन अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटा श्री बी. एल. जैमन द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया था कि "माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने यद्यपि रामगोपाल वगैरह की मथुरालाल वगैरह से विवादग्रस्त भूमि का कब्जा लेने की अपील अवश्य खारिज की है लेकिन मथुरालाल वगैरह को खातेदार घोषित कर उन्हें राजस्व रेकार्ड में खातेदार दर्ज करने के आदेश नहीं दिये हैं। इसके अतिरिक्त माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 2.12.1970 के 18 वर्ष के बाद इस प्रकार के निर्णय की पालना में मात्र एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय (न्यायालय तहसीलदार) को प्रस्तुत कर खातेदारी अधिकार प्राप्त कर अपने को राजस्व रेकार्ड में खातेदार दर्ज करने की कार्यवाही करना विधिसम्मत नहीं कही जा सकती एवं विवादग्रस्त भूमि के प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय 13.3.1989 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सांगोद को दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर एवं पूर्ण जांच कर विवादग्रस्त आराजी के संबंध में विधिसम्मत निर्णय पारित करने के निर्देश के साथ रिमाण्ड की थी।" जिसके पश्चात तहसीलदार सांगोद द्वारा नामान्तरण आदेश दिनांक 26.3.1989 से विवादित आराजी को प्रतिवादीगण द्वारा 144 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र लगाने के बाद आदेश दिनांक 13.3.1989 के पूर्व की स्थिति बहाल करते हुए आराजी सिवायचक से दिनांक 22.3.1990 को पुनः प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी थी एवं प्रतिवादीगण तभी से विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार चले आ रहे हैं। इसके बाद

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

अधिवक्ता प्रतिवादी ने एक राजीनामे की फोटोप्रति पेश कर कहा कि विवादित आराजी पर काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पहले वादीगण के पिता माधोलाल का कब्जा था एवं उसके 3 वारिसान हुए जो कि मथुरालाल, हीरालाल एवं मांगीलाल थे आज केवल मथुरालाल का एक लडका चन्द्रप्रकाश ही प्रकरण में अकेला पैरवी करता है अन्य दो भाई प्रार्थी द्वारा पेश इकरारनामे की फोटोप्रति के अनुसार अपना हिस्सा प्रतिवादीगण को संभलाकर चले गए थे अतः आराजी में यदि मथुरालाल का हिस्सा बनता भी है तो केवल 1/3 बनता है शेष 2/3 हिस्से के इकरारनामा बाबत राजीनामा दिनांक 16.5.1994 के आधार पर प्रतिवादीगण खातेदार हो चुके हैं एवं इस राजीनामे के आधार पर कब्जा भी प्रतिवादीगण को संभलाया जा चुका है। वर्तमान में प्रतिवादीगण की फसल मौके पर खडी है एवं वादीगण झगडा–फसाद कर प्रतिवादीगण की फसल काटना चाहते हैं वादीगण का दावा माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 2.12.1970 के 20 साल बाद किया जाने होने से अवधि बाधित होने से खारिज योग्य है एवं जब दावा ही अवधि बाधित होने से खारिज योग्य है ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र भी खारिज होने योग्य है। प्रार्थीगण यदि जागीर रिजम्पशन से पूर्व विवादित आराजी पर काबिज थे तो इन्हें जागीर रिजम्पशन एक्ट के तहत खातेदारी प्राप्त करने के लिए जागीर कमीश्नर के यहां आवेदन करना चाहिए था। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा यह कथन किया गया है कि प्रकरण में चाराजोई केवल एक पक्षकार मथुरालाल के वारिसान कर रहे हैं इसलिए प्रकरण चलने योग्य नहीं है क्योंकि प्रकरण में यदि कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त होगें तो वे माधोलाल को प्राप्त होगें जिसके तीन वारिसान मथुरालाल, हीरालाल एवं मांगीलाल थे। अतः मथुरालाल को सभी की ओर से पैरवी करने का अधिकार नहीं है इस संबंध में अधिवक्ता वादी द्वारा आपत्ति करते हुए कहा गया कि प्रार्थना पत्र एवं वाद दोनों ही माधोलाल के तीनों वारिसान मथुरालाल, हीरालाल, मांगीलाल द्वारा पेश किया गया है,

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

अतः आपत्ति निराधार है। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा अपनी बहस में यह कहा गया कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण ने जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा क्रय की थी जिसे खारिज कराने के लिए आदिनांक तक वादीगण द्वारा सक्षम सिविल न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं किया गया है एवं रजिस्टर्ड बेचाननामे को रद्द कर वादीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान करने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है, इस पर अधिवक्ता वादी द्वारा कथन किया गया कि माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 2.12.1970 में जब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि तत्कालीन जागीरदारों को जागीर रिजम्पशन के बाद वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण को बेचान करने का अधिकार नहीं था तब बिना अधिकारों के किया गया यह ट्रान्सफर स्वयं ही नल एंड वोईड है तो उसे ऐसी दशा में प्रारम्भतः अवैध एवं शून्य होने के कारण सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त कराने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। प्रकरण में दिनांक 31.11.1990 से रिकार्ड की यथास्थिति का आदेश दिया हुआ है परन्तु मौके की यथास्थिति बनाए रखने का कोई आदेश प्रसारित नहीं किया हुआ है। प्रतिवादीगण रिकार्डेड खातेदार है इसलिए प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना अनुचित है।

मैंने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध जवाब प्रार्थना पत्र, दस्तावेजों, नकल जमाबंदी, रिकार्ड, प्रकरण में पूर्व में पारित विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों आदि का गहनता से अवलोकन किया। प्रकरण में यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने से पूर्व से ही निरन्तर वादीगण का कब्जा रहा है जो कि स्वयं प्रतिवादीगण के जवाब से सिद्ध होता है क्योंकि प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में यह तथ्य स्वीकार किया है कि उनके द्वारा दिनांक 7.7.1956 को वादग्रस्त आराजी तत्कालीन जागीरदार शंकरदान एवं पृथ्वीसिंह से

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

500 रूपये में क्रय करने के बाद वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा होने के कारण उपखण्ड न्यायालय रामगंजमण्डी में कब्जा प्राप्त करने के लिए दिनांक 30.7.1959 को 183 रा. का. अधि. में एक वाद दायर किया था। इसी प्रकार अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत नकल नामान्तरण ग्राम धीराहेडी दिनांक 17.11.1956 में स्पष्ट उल्लेखित है कि जागीरदारान से उक्त भूमि क्रय करने के पश्चात कब्जा माधोलाल का होने के कारण नामान्तरण खारिज किया गया जिसकी अंतिम अपील माननीय राजस्व मण्डल ने दिनांक 2.12.1970 को निर्णित होने के बाद उक्त निर्णय में भी यह अभिमत दिया गया कि जागीरदार पृथ्वीसिंह व शंकरदानसिंह, जिनसे वादीगण दिनांक 7.7.56 को पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा वादग्रस्त भूमि को क्रय करना बतलाते हैं वे जागीरदार पृथ्वीसिंह व शंकरद[illegible] वादग्रस्त भूमि के खातेदार नहीं थे और उन्हें अवैध अनाधिकृत प्रभावशून्य इन्द्राज के आधार पर वादग्रस्त भूमि को अप्रार्थी कम 1 व उसके भ्रातागण को विक्रय करने का वैध अधिकार नहीं होने से अप्रार्थी कम 1 व उसके भ्रातागण के पक्ष में किया गया बेचाननामा नल एण्ड वोईड है तथा घोषणा एवं बेदखली का दावा प्रार्थीगण के पिता श्री माधो के विरूद्व चलने योग्य नहीं होने से निरस्तनीय है। प्रकरण में दिनांक 18.3.1990 की तहसीलदार सांगोद की मौका रिपोर्ट से भी मथुरालाल, हीरालाल, मांगीलाल पुत्रान माधोलाल का कब्जा विवादित आराजी पर होना स्पष्ट है। जहां तक अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा वादी के खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा के संबंध में की गई बहस का प्रश्न है तो यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि वादीगण किस हद तक विवादित आराजी पर खातेदारी उद्घोषणा करवाने के अधिकारी हैं अथवा प्रकरण में समस्त भूमि सिवायचक दर्ज होने योग्य है अथवा बाद सिवायचक दर्ज होने वादी अथवा प्रतिवादी को आवंटन किये जाने योग्य है, यह सभी प्रश्न मूल दावे में निर्धारित होने हैं। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा जहां तक इस कथन का प्रश्न है कि वादीगण द्वारा प्रकरण में माननीय

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

राजस्व मण्डल की प्रतिवादीगण के पक्ष में हुई सेल डीड को निरस्त योग्य होना माने जाने के बाद सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं कराया गया इसलिए यह वाद भी चलने योग्य नहीं होने से स्थगन प्रार्थना पत्र भी चलने योग्य नहीं है। इस पर मैं अधिवक्ता वादी के इस कथन से सहमत हूँ कि माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 2.12.1970 में जब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि तत्कालीन जागीरदारों को जागीर रिजम्पशन के बाद उक्त भूमि प्रतिवादीगण को बेचान करने का अधिकार नहीं था तब बिना अधिकारों के किया गया यह ट्रान्सफर स्वयं ही नल एंड वोईड है तो उसे ऐसी दशा में प्रारम्भतः अवैध एवं शून्य होने के कारण सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त कराने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। प्रकरण में वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से लगातार कब्जा होना निर्विवाद है जिसे स्वयं प्रतिवादीगण द्वारा अपनी प्लीडिंग्स द्वारा ही सिद्ध कर दिया गया है एवं प्रतिवादीगण का नाम रिकार्ड में होने के संबंध में स्वयं प्रतिवादीगण द्वारा ही अपनी प्लीडिंग में माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 2.12.1970 को स्वीकार करने से जिस रजिस्टर्ड दस्तावेज द्वारा राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण का नाम आया है उसके संबंध में दी गई फाईन्डिग्स स्वयं प्रतिवादीगण स्वीकार कर रहे हैं। प्रकरण में अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा अपनी जवाब एवं बहस में बार–बार एक राजीनामा वादी सं. 2 एवं 3 के वारिसान द्वारा दिनांक 16.5.1994 को प्रतिवादी सं. 6 नाथूलाल के पक्ष में स्वेच्छा से कर कब्जा संभलाने का कथन किया है तो इस संबंध में उक्त राजीनामा दस्तावेज दिनांक 16.5.1994 को प्रतिवादीगण के पास असल प्रति उपलब्ध नहीं होने के कारण फोटोप्रति को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्रहण करने का प्रार्थना पत्र पूर्व में दिनांक 26.7.2021 को इस न्यायालय द्वारा 100 रूपये की कोस्ट पर खारिज किया जा चुका है जिसकी रिवीजन माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में लंबित है। अतः यह दस्तावेज इस

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
[illegible] (कोटा)

न्यायालय द्वारा पूर्व में ही रिकार्ड पर लिया जाने से इन्कार किए जाने के कारण इस प्रार्थना पत्र में भी रिकार्ड पर लिया जाना संभव नहीं है। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा यह कथन किया गया है कि प्रकरण में चाराजोई केवल एक पक्षकार मथुरालाल के वारिसान कर रहे हैं इसलिए प्रकरण चलने योग्य नहीं है क्योंकि प्रकरण में यदि कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त होगें तो वे माधोलाल को प्राप्त होगें जिसके तीन वारिसान मथुरालाल, हीरालाल एवं मांगीलाल थे। अतः मथुरालाल को सभी की ओर से पैरवी करने का अधिकार नहीं है, इस संबंध में मैं अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति से सहमत हूँ कि प्रार्थना पत्र एवं वाद दोनों ही माधोलाल के तीनों वारिसान मथुरालाल, हीरालाल, मांगीलाल द्वारा पेश किये गये हैं, अतः आपत्ति निराधार है। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा अपनी बहस में यह कहा गया कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण ने जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा [illegible] था जिसे खारिज कराने के लिए आदिनांक तक वादीगण द्वारा सक्षम सिविल न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं किया गया है एवं रजिस्टर्ड बेचाननामे को रद्द कर वादीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान करने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है, इस पर मैं अधिवक्ता वादी द्वारा किए गए कथन से सहमत हूँ कि माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 2.12.1970 में जब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि तत्कालीन जागीरदारों को जागीर रिजम्पशन के बाद वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण को बेचान करने का अधिकार नहीं था तब बिना अधिकारों के किया गया यह ट्रान्सफर स्वयं ही नल एंड वोईड है तो उसे ऐसी दशा में प्रारम्भतः अवैध एवं शून्य होने के कारण सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त कराने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। प्रकरण में इस स्टेज पर केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया केस किसका बनता है, सुविधा संतुलन किसके पक्ष में है तथा प्रकरण मे किस पक्ष को अपूरणीय क्षति कारित होने की संभावना है। प्रकरण में उक्त तीनों बिन्दु वादीगण के पक्ष में होना प्रथम दृष्टया

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

स्पष्ट है। प्रकरण में विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से पूर्व का होना निर्विवाद है। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जहां उनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के साथ उन्हें कब्जा भी संभलाया गया हो। जहां तक विवादित भूमि में वर्तमान में मौके पर कब्जे काश्त का प्रश्न है उसके संदर्भ में विवादित आराजी के आस–पास के काश्तकारों के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र विचारणीय है जिससे भी मौके पर कब्जा काश्त प्रार्थीगण का ही प्रमाणित है तथा विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि किसी पक्षकार का किसी आराजी पर कब्जा काश्त है तो उसे बिना वैधिक प्रक्रिया अपनाए बेदखल नहीं किया जा सकाता है। जहां तक प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने का प्रश्न है तो इसी बिन्दु पर वादीगण [illegible] सं. 98/97 विचाराधीन है। माननीय राजस्व मण्डल की दिनांक 2.12.1970 की फाइन्डिंग्स के अनुसार जिस दस्तावेज से वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुआ है वह दस्तावेज ही प्रारम्भतः शून्य एवं अवैध है। अतः ऐसी दशा में प्रकरण प्रथमदृष्टया होने व सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होना पाया जाने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला पुष्ट की जाती है एवं प्रार्थना पत्र धारा अंतर्गत 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार कर आदेश दिये जाते है कि –

माल ग्राम धीराहेडी तहसील सांगोद जिला कोटा की विवादित आराजीयात खसरा न0 4 की 24 बीघा 4 बिस्वा स्थित ग्राम धीराहेडी, जिसके वर्तमान खसरा न0 11 रकबा 3.91 हैक्टर आराजीयात पर अप्रार्थीगण मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखेगें, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दाखलत–मजामहत अथवा अन्य व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगें तथा उक्त आराजी ना तो स्वयं एवं ना ही अपने किसी एजेन्ट के जरिए किसी व्यक्ति, बैंक अथवा अन्य संस्था को

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

रहन, विक्रय अथवा अन्य किसी प्रकार के भारग्रस्त व हस्तान्तरित नहीं करेगें तथा मौके की यथास्थिति बनाए रखेगें।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 02.03.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद